भारत सरकार
**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या5155**
जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।
12चैत्र, 1947 (शक)

# डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामले

**5155.श्रीदेवेश शाक्य** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी अधिनियम) के लागू होने के बाद से अब तक इस अधिनियम के तहत जिलावार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) उक्त सभी पंजीकृत मामलों में से कितने मामलों का निपटान कर दिया गया है;

(ग) उक्त मामलों के निपटान की दर कितनी है और लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा डाटा संरक्षण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और शिकायतों के निवारण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष तंत्र या निगरानी प्रणाली मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किस स्तर तक जांच की गई है या कार्रवाई की गई है; और

(छ) क्या उक्त अधिनियम के तहत किसी संगठन या व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

**(क) से (छ)**:डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) डिजिटल वैयक्तिक डाटाके प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रावधान करता है जो व्यक्ति के अपने वैयक्तिक डाटाकी सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है। डीपीडीपी अधिनियम 11 अगस्त, 2023 कोअधिनियमित किया गया है। मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के लिए डीपीडीपी नियम, 2025 के मसौदे को अधिसूचित किया है जो डीपीडीपी अधिनियम को लागू करने का प्रयास करता है। कानून बनाने के प्रति समावेशी दृष्टिकोण की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हितधारकों सहित जनता से प्रतिक्रिया टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

डीपीडीपी अधिनियम डिजिटल वैयक्तिक डाटाप्रसंस्करण में शामिल संगठनों को डिजिटल वैयक्तिक डाटाके वैध प्रसंस्करण से पहले निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सहमति प्राप्त करने और व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान सहित सुदृढ़ अनुपालन प्रतिउपायों को लागू करने के लिए बाध्य करता है। अधिनियम में डेटा फिड्यूशियरी को वैयक्तिक डाटाको जिम्मेदारी से संसाधित करने, उल्लंघनों को तुरंत अधिसूचित करने और यथोचित तकनीकी और संगठनात्मक प्रतिउपायों को लागू करके अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, अधिनियम व्यक्तियों को अपने डिजिटल वैयक्तिक डाटातक पहुँचने, उसे सही करने और मिटाने के अधिकार प्रदान करता है, जिससे उनके वैयक्तिक डाटाके प्रसंस्करण और उपयोग के बारे में पारदर्शिता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, डीपीडीपी अधिनियम शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और डेटा संरक्षण बोर्ड के माध्यम से डिज़ाइन न्यायनिर्णयन प्रक्रिया द्वारा डिजिटल निर्धारित करने के लिए बाध्य करता है।

डीपीडीपी अधिनियम डिजिटल वैयक्तिक डाटाके वैध प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तंत्र का एक सुदृढ़ ढांचा स्थापित करता है**,** जिसमें डेटा संरक्षण बोर्ड एक स्वतंत्र न्यायनिर्णयन निकाय है जो शिकायतों की जाँच करने**,** पूछताछ करने और अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड लगाने के लिए सशक्त है।

********